



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME-TAX, WB & SIKKIM
आयकर भवन, पी-7, चौरंगी स्क्वायर, कोलकाता-700069

Aayakar Bhawan, P- 7, Chowringhee Square, Kolkata - 700 069

टेलीफोन नंबर/ Tel. No. : (033) 2213 6150 फैक्स/ Fax: (033) 2213 6989

ईमेल आईडी/ e-mail id : kolkata.dcit.hq.admin.vig@incometax.gov.in

F No. PCCIT/WBS/Admn/DC/Est(Gz)/76(Part-I)/Prom. & T-P(AO)/2025-26

Date: 30.09.2025

Order No. 146 of 2025-26

भाग - I / Part-I: पदोन्नति/ PROMOTION

प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-III के ग्रेड में निम्नलिखित अधिकारियों को नियमित आधार पर वेतन स्तर 8 (पूर्व-संशोधित वेतन बैंड रु.9300-34800/- ग्रेड वेतन रु.4800/-) में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II के पद पर 01.10.2025 प्रभाव से या ऐसी पदोन्नति पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, स्वस्थाने आधार पर पदोन्नत किया जाता है: / The following Officers in the grade of **Administrative Officers Gr-III**, are hereby promoted to the post of **Administrative Officer Gr-II** in the Pay Level 8 (Pre-revised Pay Band Rs.9300 –34800/- with Grade Pay Rs.4800/-) on **regular basis**, for the V.Y 2025, with effect from 01.10.2025 or the date of their joining on such promotion, whichever is later on **in-situ** basis:-

क्र.सं./ Sl No	नाम (श्रीमती / श्री) / Name (Smt / Shri)	जन्मतिथि / Date of Birth	प्रअ, ग्रेड- III के रूप में वर्तमान तैनाती/ Present Posting as AO Gr-III
1.	TUTUN BHATTACHARYA (GANGOPADHYAY)	05-12-1970	AO to PCIT-9, Kolkata
2.	SHYAMAL KANTI MANDAL	02-06-1971	AO TO CCIT-1, Kolkata

(a) उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/2/2017-Estt.(Pay-I) , दिनांक 27.07.2017 के पैरा-3 के अनुसार पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के मामले में पदोन्नति की तारीख से 1 (एक) माह के भीतर अपना विकल्प चयन किया जाना है। / The above Officers are hereby asked to exercise their option within 1 (one) month of the date of promotion in the matter of fixation of pay on such promotion in terms of Para-3 of the Ministry of Personnel, Public Grievances Pension (Deptt. Of Personnel & Training) Office Memorandum No. 13/2/2017-Estt.(Pay-I) dated 27.07.2017.

(b) संबंधित अधिकारियों को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के प्रत्यावर्तित किजा सकता है। / The Officers concerned are liable to be reverted without prior notice at any time.

(c) संबंधित अधिकारियों कृपया ध्यान दें कि पदोन्नति से इंकार करने की स्थिति में, उसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.04.1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/5/91-Estt.(D) dated 27.03.1997 के साथ पठित का. ज्ञा. सं. 22011/5/86-Estt.(D), दिनांक 27.03.1997 के अनुसार उक्त पदोन्नति से इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की



अवधि के लिए या अगली रिक्ति होने तक, जो भी बाद में हो, पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। / The Officers concerned may please note that in the event of their refusing promotion, they would be debarred from promotion for a period of one year from the date of refusal of said promotion or till the next vacancy arises, whichever is later, as per the D.O.P&T's O.M No. 22011/5/86-Estt.(D), dated 10.04.1989 read with O.M. No. 22011/5/91-Estt.(D) dated 27.03.1997.

(d) उपर्युक्त अधिकारी की प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति इस संबंध में केंद्रकबो/ डीओपीटी द्वारा जारी किसी प्रासंगिक न्यायालय आदेश या निदेश/निर्देश के अधीन होगी। / The promotion of the above-mentioned Officers in the grade of Administrative Officer Gr-II is subject to any relevant Court Order or direction/instruction issued by CBDT/DoPT in this regard.

(e) इस आदेश के भाग I में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II संवर्ग के अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता यथासमय अलग से अधिसूचित की जाएगी। The *inter se seniority* of the persons appearing in Part - I of this order, in the grade of **Administrative Officer Gr-II** will be notified separately in due course.

भाग - II / Part-II: इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट उचित माध्यम से दिनांक 06.10.2025 तक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम के कार्यालय तक प्रेषित की जानी है। / A compliance report in this regard should reach the office of the Pr. CCIT, WB & Sikkim by 06.10.2025 through proper channel.

Sd/-

(ए के सिंह, भा.रा.से. / A.K Singh, I.R.S)

आयकर आयुक्त (प्रशा. व कर दाता सेवाएं), कोलकाता

Commissioner of Income Tax (Admn. & Tax Payer Services), Kolkata

मेमो संख्या/ M.No. PCCIT/WBS/Admn/DC/Est(Gz)/76(Part-I)/Prom. & T-P(AO)/2025-26/12082-12231

Date: 30.09.2025

सूचना एवं आवश्यक कारवाई के लिए प्रतिलिपि/ Copy for information and necessary action to:

1. प.बं व सिक्किम क्षेत्र के सभी मु.आ.आ./ आ.महा.नि./ All CCsIT/ DGIT in W. B. region.
2. प.बं व सिक्किम क्षेत्र के सभी प्र.आ.आ./ प्र.आ.नि./All PCsIT/ PDIT in W. B. region.
3. प.बं व सिक्किम क्षेत्र के सभी आ.आ./ आ.नि./ आ.अ.म.नि./ All CsIT/ DsIT/ ADG in W. B. region.
4. संबन्धित अधिकारी/The Officers concerned.
5. लेखा अधिकारी, क्षेत्रका, केंद्रकबो, कोलकाता/ The Accounts Officer ; ZAO, CBDT, Kolkata.
6. सहायक निदेशक(रा.भा.)-1, कोलकाता(हिन्दी अनुबाद हेतु), The AD(OL)-1, Kolkata (for Hindi version).

सचिव भारासे संगठकन, पश्चिम बंगाल चैप्टर/ The Secretary, IRS Association, West Bengal Chapter.



8. सचिव, आ.रा.अ.सं., पश्चिम बंगाल इकाई/ The Secretary, ITGOA, West Bengal Unit.
9. सचिव आई.टी.ई.एफ सर्कल/ The Secretary, ITEF, Bengal Circle.
10. सचिव, अखिल भारतीय अधि.जा/जन जा. कार्मिक कल्याण संगठन, पश्चिम बंगाल इकाई/ The Secretary, All India Income-tax SC & ST Employees' Welfare Association, W. B. Unit.
11. राजपत्रित स्थापना अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ Gazetted Confidential Section for uploading order in departmental website : www.incometaxkolkata.gov.in
12. गार्ड फाईल/ Guard File.



(आशुतोष कुमार साहू, भा.रा.से./ Ashutosh Kumar Sahu I.R.S.)

उप आयुक्त आयुक्त, मुख्या. (प्रशा. व सतर्कता), कोलकाता

DCIT, Hqrs. (Admn. & Vigilance), Kolkata

कृते प्र.मु.आ.आ., प.ब. एवं सिक्किम/For Principal CCIT, WB & Sikkim